


अचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

संदिग्ध/अधैत जमाबंदी रद्द अभिलेख नं० २१/१०२०-५

बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
२१/१०	<p style="text-align: center;">झारखंड सरकार के आदेश नं०-2074/रा० दिनांक-13.05.2016</p> <p>संबंधित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-ख० न० निधि-119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह-संज्ञित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या-914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में पैरमजख्खा खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के तहत यह इलाका राजस्व उपनिवेशिक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नलिखित है-</p> <p style="text-align: center;">मीजा-कोलापुरा मीजा नं०- 12 खाता नं० 142</p> <p>प्लॉट नं० 63 रकबा 4.95 हे० की भूमि जो पैरमजख्खा खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मीजा के पृष्ठ-11 के अंतर्गत संख्या 20 के पृष्ठ संख्या 3757 पर जमाबंदी रैयत <u>श्री नारायण रंजन प्रसाद</u> पिता- <u>स्व. राजेश्वर प्रसाद</u> के नाम से कायम है।</p> <p>इसका राजस्व उपनिवेशिक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जांचोपरांत उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विस्तृत कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अधैत बंदोबस्ती के आधार पर/अधैत कोठकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अधैत लगान निर्धारण के आधार पर/कानून द्वारा/कानून के आधार पर कायम की गयी है जिसका तदर्थय निधि लाभ एवं राजस्व का हानि कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अधैत प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वाछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतः- उपरोक्त जांच प्रतिवेदन पर अचल-निवेशिक का मतव्य प्राप्त करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>१५/१०</u> को रखें।</p>	
	 अचल अधिकारी, धनबाद।	

21/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक से मंतव्य / प्रतिवेदन प्राप्त है।
अभिलेख दिनांक 21/4/19 को रखें।


अचल अधिकारी
धनबाद।


21/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अद्योहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।
अभिलेख दिनांक 21/5/19 को रखें।


अचल अधिकारी
धनबाद।

15/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मंतव्य सहित प्राप्त।
प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक
29/6/20 को रखें।


अचल अधिकारी
धनबाद।


29/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि गीजा
कोलाकुरमा गीजा नं० 12 खाता 142 प्लॉट
नं० 63 रकवा 4.95 ई० भूमि से संबंधित है। आवेदित
भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमाबंदी रैयत
के खोज बीन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का
तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति सलग्न)। आवेदित
भूमि दाखिल खारिज केस नं० (.....) के अनुसार कायम है।
तत्कालीन अचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पंजी को संदेहास्पद माना गया
है। जिसे संबंधित उप निरीक्षक एवं अचल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द
हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया

अतः जॉच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि
सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजें।

लेखापित एवं संशोधत।


29.6.20
अचल अधिकारी,
धनबाद।


29.6.20
अचल अधिकारी,
धनबाद।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

4180

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- श्री शशि प्रजन प्रसाद

पिता. शिव राजेश्वर प्रसाद

सा. - फागजीवन नगर

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

प्लॉट	प्लाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
कोला कु-233)	12	142	63	4.95 570

3. जमाबंदी पंजी - II के जिल्द संख्या ... 20 ... पृष्ठ सं० ... 3757 ... पर कायम है-

4. जमाबंदी किस वर्ष से कायम है - 08-09

5. खातियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- गैर आव्वाद

6. किस सक्षम अधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- लगान धार्य / बन्दो बस्ती/ दा० खा० मु०सं०.....

सं० 1713 (1) 08-09 र.सं० 2845

old SMT अर्चना सिंह

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- श्री शशि प्रजन प्रसाद

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिर्बंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोबस्ती -

ना/सं० - 2043 (1) 05-06 के आदेशानुसार

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा

दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी/ लगान निर्धारण पंजी / भू - हस्तांतरण पंजी

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसोद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसोद संख्या	रसोद निर्गत तिथि	वसुली वर्ष
1	368964	12-9-88	08-09
2			
3			
4			
5	05683	8-9-14	14-15